

राजस्व न्यायालय  
न्यायालय अमर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर.

प्रकरण क्रमांक

/2014 निगरानी

R-1428-PBR/14

5/5/14

(Amurag based)  
Ah

1. श्रीमती रंजना प्रधान पत्नी स्व0 श्री अमर प्रधान आयु 62 वर्ष व्यवसाय गृह कार्य
2. श्रीमती नम्रता प्रधान भावसार पत्नी श्री सचिन भावसार पुत्री स्व0 अमर प्रधान आयु 36 वर्ष व्यवसाय गृह कार्य दोनो निवासीगण प्लॉट नं0 3/101, कालिन्दी मिड टाउन वायपास इन्दौर
3. श्रीमती सांत्वना प्रधान भटनागर पत्नी श्री पंकज भटनागर पुत्री स्व0 श्री अमर प्रधान आयु 35 वर्ष व्यवसाय गृहकार्य निवासी द्वारा श्री एम.सी.भटनागर, 255/36, मालबाड़ा, बसंत रोड गाजियाबाद उ0प्र0

...प्रार्थीगण

बनाम

1. राजेन्द्रसिंह तोमर पुत्र श्री शिवचरन सिंह तोमर निवासी ई 80, बलबंत नगर, ठाटीपुर, ग्वालियर
2. महेशचंद जैन पुत्र श्री हरीशचंद जैन निवासी डी-19, हरीशंकरपुरम, लश्कर ग्वालियर ...रिस्पान्डेंट्स
3. श्रीमती सोनल प्रधान ब्रिजवानी पत्नी श्री प्रवीण ब्रिजवानी पुत्री स्व0 श्री अमर प्रधान आयु 37 वर्ष व्यवसाय गृह कार्य निवासी 41, स्पेक्ट्रम टावर इलफोर्ड, आइजी 14, जीजेड, लंदन यू0के0

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 नू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 2-4-14

पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी ग्वालियर प्र0क0 14/13-14/अपील में



Amurag

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1428-पीबीआर/14

जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	प्रश्नकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-8-2016	<p>आवेदकगण की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं .। निगरानी की ग्राह्यता के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी के वादग्रस्त आदेश का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा इस निष्कर्ष के साथ स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया है कि आवेदकगण की ओर से अपूर्ण्य क्षति होने के संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । उक्त कार्यवाही में प्रथम दृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p>  (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>